(c) Yes, Sir. The additional five per cent ad-hoc allocation of levy sugar is being restored with effect from 1st September, 1995.

(d) No, Sir.

Writing-off of loans of non-core sector

1927. SHRI SANJAY DALMIA:
DR. BAPU KALDATE:
MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the amount which had to be written off as on 31 st March, 1995 on account of coal supply to non-core sector through railways; and

(b) the amount outstanding against non-core sector through railways as on 31st March, 1995. and since when?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) No amount had to be written off as on 31.3.95 on account of coal supplied to non-core sector consumers through Railways.

(b) The total amount of outstanding dues from non-core sector consumers for coal supplied through Railways as on 31.3.95 was Rs. 47.03 crores.

भारत में बाल श्रम के संबंध में"यूनीसेफ" का प्रस्ताव

1928. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय**:

श्री अनन्तराय जायसवाल:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या"यूनीसेफ" ने बाल श्रमिकों के शोषण के संबंध में एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा हैं;

(ख)यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का मूल विषय/आशय क्या हैं और सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया गया हैं;और

(ग) सरकार द्वारा बाल श्रमिक शोषण से संबंधित कानून का शीघ्रता से अनुपालन करने के लिये अब तक क्या पहल की गई हैं और इसका क्या परिणाम निकला हैं?

श्रम मंत्री (**श्री पी.ए.संगमा**): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कारखाना अधिनियम,1948,खान अधिनियम,1952,बीड़ी और सिगार कर्मकार(नियोजन की शर्तें) अधिनियम,1966 जैसे विभिन्न श्रम कानून के तहत किए गए निषेधात्मक उपबंधों के अलावा बाल श्रम (प्रतिषेध एंव विनियमन) अधिनियम,1986 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों/प्रक्रियाओं में भी बाल श्रम को प्रतिषिद्व किया गया हैं । सभीराज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,1986 के विभिन्न उपबंधों का प्रवर्तन कर रहे हैं। अधिनियम के प्रवर्तन का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबोधन किया जाता हैं।

पिछले तीन वर्षो के दौरान बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,1986 का उल्लंघन किए जाने के बारे में नियोजकों के विरूद्व दायर किए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	उल्लंघनों की संख्या
1992-93	1884
1993-94	1814
1994-95	2166

अभी तब 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त के अतिरिक्त,विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से भी अनुरोध किया गया हैं कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्योगों में विभिन्न व्यवसायों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करवाएं । यदि,ऐसे उद्योगों/प्रक्रियाएं जिन्हें रियायतें दी गई हैं,का निरीक्षण करने पर पाया जाता हैं कि वे विद्यमान कानून का अतिक्रमण करके बाल श्रम का नियोजन कर रही हैं तो उन्हें दी जाने वाली रियायतें समाप्त कर दी जाएं । इसके अलावा,बाल श्रम से संबंधित कानूनों का बेहतर प्रभावी ढंग से प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से वर्ष 1993-94 के दौरान कुल 600 निरीक्षकों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया हैं।

कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश

1929. **चौधरी हरमोहन सिंह**:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1994-95 के "आर्थिक सर्वेक्षण" में कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश के संबंध में की गई कतिपय टिप्पणियों की ओर दिलाया गया हैं;